राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/22513 दिनांक: 2/6/2015

परिपत्र

विषयः– डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र को अनुमान्य किये जाने बाबत्।

जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने तथा कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन्म–मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाईन पंजीयन विभागीय वेबपोर्टल 'पहचान' पर प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य की अधिकांश पंजीयन ईकाईयों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act, 2000 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई.टी. एक्ट, 2009 (Amended of Section 2 Act 2008) के बिन्दु संख्या– ई के अनुसार नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी के माध्यम से जन सामान्य को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाया जाना है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को इस प्रयोजनार्थ पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमे सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) का उपयोग करते हुए तैयार किये गये एवं डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) के उपयोग को मान्यता (Recognition) प्रदान की जाती है।

जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य ऑनलाईन होने तथा प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति में आमजन की ओर से जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य ई–मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेवा के लिए प्रथम चरण में जयपुर शहरी क्षेत्र के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की अधिकारिता अन्तर्गत घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं सम्बन्धी पंजीयन कार्य हेतु जयपुर शहरी क्षेत्र में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया जाता है। ई–मित्र के माध्यम से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगीः–

1. आवेदक को ई–मित्र पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा।
2. ई–मित्र संचालक आवेदक से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर टोकन जारी करेगा।

3. ई–मित्र संचालक द्वारा टोकन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा उक्त टोकन निरस्त नहीं कराया जा सकेगा।
4. ई–मित्र द्वारा आवेदक से स्वः अधिप्रमाणित पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर प्राप्त दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन प्रपत्र की पूर्ति की जावेगी।
5. सभी दस्तावेजों को संकलित ईमेज के रूप में अपलोड किया जावे।
6. आवेदक द्वारा ई–मित्र पर आवेदन करने के पश्चात सम्बन्धित रजिस्ट्रार अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात अधिकतम 3 दिवस मे डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
7. ई–मित्र संचालक द्वारा सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक को उपलब्ध कराया जावेगा।
8. आवेदक को निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति उपरान्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण के सम्बन्ध में SMS Alert की सुविधा भी प्रदान की गई है।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/12820-69 दिनांकः 2/6/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, 2 ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली – 110011।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जिला..
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
5. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला................................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव